

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-140 / 2005

संस्थित दिनांक-21.03.2005

फाई. क्र.234503000132005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

राजकुमार पिता धरमसिंह परधान, उम्र-35 वर्ष,

निवासी पौनी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

— — — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 13/12/2017 को घोषित)**

01— आरोपी राजकुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-447, 392 के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक 15.07.2003 को रात्रि में लगभग 11:00 बजे ताम्र परियोजना मलाजखण्ड आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया एवं दो नग ब्रेक प्लेट लोहे की चोरी की तथा उक्त चोरी की हुई वस्तु को ले जाने का प्रयत्न करने में गोवर्धन को पत्थर से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि गोवर्धन भदौरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ताम्र परियोजना न्यू बैरिक में रहता है तथा ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में सिव्यूरीटी गार्ड के पद पर पदस्थ है। दिनांक 15.07.03 को उसकी रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक स्क्रेप एरिया में पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी थी। चोरों के आने के अंदेशा पर सुपरवाइजर सहारे ने 12 बोर 02 नाल बंदूक पेट्रोलिंग के लिए दिया था। वह सहारे जी एवं एक लड़का कैजुवल वाला मुन्नीलाल तीनों पेट्रोलिंग के

लिये गये थे। तीनों अलग-अलग दिशा में चले गये वह ग्रेन कॉटन गन सूट पहने था। रात्रि करीब 11:00 बजे 10-12 लोग स्क्रेप एरिया में लोहा चुनने आये थे, वह लोग लोहा लेकर जाने लगे तो वह सामने आ गया और उनसे रुकने बोला तथा लोहा वहीं पर रखने कहा तो उनमें से 3-4 लोग लोहा लेकर भाग गये, शेष 7-8 लोगों ने लोहा नीचे रखकर अचानक वहीं पड़े पत्थर से उठाकर उसे मारने लगे, जिससे उसे शरीर में कई जगह पत्थर लगे। उन लोग चिल्लाने लगे कि साला लोहा ले जाने से रोकता है और पत्थर मारना जारी रखे। बचाव का कोई रास्ता नहीं होने पर वह भागा तो उन लोग उसके पीछे-पीछे आने लगे, तब उसने उन लोगों को डराने एवं अपनी रक्षा एवं स्क्रेप चोरी रोकने के लिए बंदूक से एक फायर किया, झाड़ी के पीछे से चिल्लाने की आवाज आने पर उसने जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का जिसने अपना नाम राजकुमार बताया था, उसके पास में लोहा स्क्रेप पड़ा था उसे पैर में गोली लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। थोड़ी देर में सहारे जी आ गये फिर कल्याणसिंह व अन्य लोगों के साथ घायल राजकुमार को मलाजखण्ड अस्पताल ले गये। उसने अपने बचने का कोई साधन न होने से व उन चोर लड़कों को डराने व चोरी करने से रोकने के लिए उसने बंदूक से फायर किया था। राजकुमार को धोखे से गोली लगी है। राजकुमार को छोड़कर सभी लड़के स्क्रेप लोहा वहीं छोड़कर भाग गये। राजकुमार के पास गिरा हुआ स्क्रेप लोहा लेकर थाना रिपोर्ट करने आया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके के गवाहों के कथन लेख किये गये, जप्ती पत्रक तैयार किया गया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया। प्रकरण में अन्य अज्ञात आरोपीगण की पतासाजी की गई, कोई पता नहीं चला। संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-447, 392 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म

अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक 15.07.2003 को लगभग रात्रि में 11:00 बजे ताम्र परियोजना मलाजखण्ड आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया ?

2— क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान में 2 नग ब्रेक प्लेट लोहे की चोरी की तथा उक्त चोरी की हुई वस्तु को ले जाने का प्रयत्न करने में गोवर्धन को पत्थर से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों को निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को घटना दिनांक से जानता है। घटना लगभग तीन वर्ष से अधिक रात्रि के डेढ़-दो बजे मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की है। आरोपी चोरी के लिये मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के अंदर आया था, उस समय वह अपनी ड्यूटी पर सुरक्षा कर रहा था। घटना के दिन चोरी करने काफी लोग आये थे, तथा चोर लोग सामान उठा-उठा कर ले जा रहे थे। उसके द्वारा आवाज दिये जाने पर कुछ चोर सामान लेकर चले गये तथा कुछ चोर के साथी पीछे रह गये, जो चोर पहले सामान लेकर चले गये थे, वह लोग उसके ऊपर पत्थर फेक रहे थे, जो उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगे। पत्थर

से बचाव के लिये जब वह दौड़ा तो उसके पास एक गन थी, जिससे एक फायर हो गई थी। उसके द्वारा फायर किये जाने पर झाड़ी के पास से आवाज आई तो वह गया, जहाँ पर रामकुमार या राजकुमार जैसा कोई नाम है, उसे अच्छे से याद नहीं आ रहा है मिला था। आरोपी उस समय उनकी कंपनी के चोरी किये लोहे के राड जो बोरी में भरा हुआ था वहाँ पर था, उसके फायर से राजकुमार के घुटने के पास चोट आई थी। उक्त चोट को उसने गमछे से बांधा उसके बाद उसे उसने एच.सी.एल. अस्पताल मलाजखण्ड ले गया था।

06— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 के अनुसार उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध थाना मलाजखण्ड में की गई थी, जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी-01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटना का मौका-नक्शा प्रपी-02 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सा परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरसा में हुआ था। पुलिस ने उससे आरोपी द्वारा चोरी कर ले जाते हुए लोहे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-03 बनाये थे, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उनकी कंपनी में घुसने के लिये अनुमति लगती है। आरोपी के पास कोई अनुमति नहीं थी। न्यायालय द्वारा साक्षी से प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बंदूक खून लगी हुई मिट्टी इत्यादि एवं एक खाली कारतूस जप्त किये थे। साक्षी के अनुसार थाने में जमा हुये थे जब हस्ताक्षर किये थे, जप्ती पत्रक प्रपी-04 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को उसकी ड्यूटी स्क्रेप यार्ड में लगी थी। उसकी ड्यूटी पेट्रोलिंग में नहीं लगी थी। साक्षी के अनुसार पेट्रोलिंग लगती है तो पूरे

ऐरिया में घुमते है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगने वाली बात बताई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख कल दिनांक 15.07.03 को रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक स्क्रेप यार्ड में पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी थी वाली बात गलत लिखी है, उक्त बात उसने अपने अपने पुलिस बयान प्रडी-1 में नहीं बताया था। घटना दिनांक को सुपरवाइजर कौन थे उसे याद नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसे बंदूक नहीं दी गई थी। यह स्वीकार किया है कि बंदूक जो रात में ड्यूटी करता है उस सुरक्षा रक्षक को बंदूक दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बंदूक केवल सुपरवाइजर को ही दी जाती है। उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि सुपरवाइजर सहारे जी ने 12 बोर दो नाल बंदूक पेट्रोलिंग के लिये लिया होगा। उसने पुलिस को बयान देते समय यह बयान दिया था कि सुपरवाइजर सहारे जी ने 12 बोर दो नाल बंदूक पेट्रोलिंग के लिये दिया था। उसे बयान देते समय यह याद नहीं था कि इस कारण उसने मुख्य कथन में नहीं बताया। साक्षी के अनुसार उसे यह भी याद नहीं है कि सहारे जी उस दिन ड्यूटी पर थे।

08— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को लगभग 20-25 लोग स्क्रेपयार्ड में घुसे थे। यह अस्वीकार किया है कि उक्त 20-25 लोग स्क्रेपयार्ड में लोहा चुनने के लिये घुसे थे, चोरी करने के लिये नहीं, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसके पुलिस बयान प्रडी-1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 में यह बात गलत लिखी है कि रात्रि करीब 11:00 बजे 10-12 लोग स्क्रेप यार्ड में लोहा चुनने आये थे। ऐसा भी नहीं हुआ था कि वह लोग लोहा लेकर जाने लगे तो वह सामने आ गया। उसके पुलिस बयान में अ से अ भाग का बयान उसने दिया था या नहीं उसे याद नहीं है। वह दूर खड़ा होकर चोरों को चिल्लाया था। वह चोरों से लगभग 25-30 गज की दूरी पर था। वह चोरों

में से किसी को नहीं पहचानता। यह स्वीकार किया है कि कितने लोग थे यह वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार वह गिन नहीं पाया था। यह स्वीकार किया है कि कितने लोग भागे थे, उसने गिना नहीं था। लोहा किसी ने नहीं रखा था। साक्षी के अनुसार लोहा लेकर भाग गये थे। उसे यह याद नहीं है कि उसने प्रडी-1 एवं प्रपी-1 के ब से ब भाग का कथन पुलिस को दिया था या नहीं। साक्षी के अनुसार क्योंकि घटना पुरानी हो गयी है।

09— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह झूठ बता रहा है कि स्क्रेप यार्ड में 20-25 लोग घुसे थे, जो उसने ऊपर कथन बताया है कि 20-25 लोग घुसे थे वह सही है एवं कथन में 10-12 वाली बात गलत है, उसने अपना बयान देते समय और रिपोर्ट दर्ज कराते समय गलत कथन किया है। उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो 10-12 लोग घुसने वाली बात लिखी है वह सही है। उसे सही याद न होने के कारण उसने अपने मुख्य परीक्षण में 20-25 लोग बताया है। 7-8 लोग जो भागे थे वह कितने दूर भागे थे उसने नहीं देखा था। वह यह भी नहीं बता सकता कि भागने वाले कितने दूर जाकर खड़े थे। यह स्वीकार किया कि कितने दूर से पत्थर फेके थे यह भी नहीं बता सकता, क्योंकि रात का समय था। पत्थर लगने से उसके कमर में बाजू में और पीट में चोट लगी थी। उसे जब वह रिपोर्ट कराने और अपना बयान देने थाने गया था तब उसे चोटों का एहसास नहीं हुआ। यह अस्वीकार किया है कि बयान देते समय यह नहीं बताया था कि चोट कहां-कहां लगी थी। घटना दिनांक 15.07.03 की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट दूसरे दिनांक 16.07 को लिखाया था और उसका बयान वह 16.07 को ही हो चुका था। उसने थाने में बताया था कि उसे शरीर के किस जगह में चोट है अगर प्रथम सूचना और बयान में नहीं लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता।

10— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब पत्थर मारने लगे तो वह बचने के लिये भागा। जब वह भागते समय सामने 60 अंश के कोण बनाकर रखा हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि पत्थर मारने वाले उसके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। साक्षी के अनुसार पत्थर मारने वाले सामने थे। फिर साक्षी के अनुसार पीछे वाले पत्थर मार रहे थे। यह अस्वीकार किया है कि उसने बंदूक जान बूझकर चला दी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जब तक बंदूक के स्टेगर पर हाथ रखकर नहीं चलाया जायेगा बंदूक नहीं चल सकती। साक्षी के अनुसार बंदूक गिरने से भी चल जाती है, जो बंदूक चली थी सामने के तरफ चली थी। यह स्वीकार किया है कि जब उसका हाथ बंदूक के स्टेगर पर जायेगा, तब ही बंदूक चलेगी अन्यथा नहीं चलेगी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर स्टेगर दबाने के बाद बंदूक चलाया और जब बंदूक चलेगी तो वह जिस समतल में रहेगी उसी समतल में चलेगी। बंदूक गिरते समय चली है गिरने के बाद नहीं चली।

11— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब बंदूक गिरते समय हवा में नहीं चल सकती तथा बंदूक को चोट लगने के बाद ही बंदूक चलेगी। बंदूक धरती पर गिरने के बाद चली। यह स्वीकार किया कि बंदूक जब धरती पर गिरते समय वार करेगा तो समतल पर ही वार करेगा उपर नहीं और आहत को चोट पैर में घुटने के पास लगा है जो कि जमीन सतह से 2 फिट उंचा है। यह स्वीकार किया जब राजकुमार को चोट लगी थी जब उसकी आज सुना तो पीछे लौट कर जाकर उसने उसको देखा। वह 25-30 गज दूरी पर जाकर देखा था। अब साक्षी का कथन है कि आरोपी राजकुमार सामने था। यह अस्वीकार किया कि बंदूक धोखे से नहीं चली थी उसने स्वयं जानबूझकर चलाया था। उसके पुलिस बयान में चोरी रोकने के लिये एक फायर किया था वाली बात गलत है। साक्षी के अनुसार धोखे से चल गई। यह स्वीकार कि है कि उसके

पुलिस बयान प्रडी-01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 के स से स भाग का कथन गलत लिखा है। यह स्वीकार किया कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट बगैर पढ़े अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। गवाह का कथन है कि इंसान से गलती हो जाती है। उसी समय उसने प्रपी-01 पढ़कर नहीं देखा था और हस्ताक्षर कर दिया था।

12— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट के द से द वाली बात घटना के संबंध में पुलिस को बताया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर गोली चलाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि गोली चलाने वाली घटना स्क्रेपयार्ड के बाहर की है। साक्षी के अनुसार स्क्रेप यार्ड से चोरी करते हुये भागते हुये बाहर आये। यह स्वीकार किया है कि स्क्रेपयार्ड बाउंड्री से घिरा हुआ है और बाहर मैदान है। साक्षी के अनुसार झाड़िया भी है। यह अस्वीकार किया है कि खुले मैदान में लाईट का उजाला रहता है। वह यह नहीं बता सकता कि राजकुमार रोड में था और उसे रोड में गोली लगी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रपी-2 का मौका-नक्शा उसके बताये अनुसार पुलिसवालों ने बनाया है। उसने महुआ के पेड़ के पास से गोली नहीं चलाई थी। महुआ के पेड़ से स्क्रेपयार्ड की दूरी लगभग 25-30 कदम है। स्क्रेपयार्ड का नक्शा नहीं बनाया गया है जो नक्शा बनाया गया है वह स्क्रेपयार्ड के बाहर का है। साक्षी के अनुसार स्क्रेपयार्ड से लगी हुई झाड़िया है। यह अस्वीकार किया है कि जो घटनास्थल पर झाड़िया बताया है वहां पर झाड़िया नहीं है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौका नक्शा में जो घटनास्थल दर्शित किया गया है, वहां पर झाड़ियों को नहीं बताया गया है। घटनास्थल से प्रशासन भवन की दूरी 250 मीटर है। यह स्वीकार किया है कि मौका में घटनास्थल से प्रशासन भवन की दूरी 250 मीटर बतायी गयी है वह सही है। साक्षी के अनुसार बाउंड्री से दूरी 50 मीटर है।

13— साक्षी गोवर्धन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जब मौका-नक्शा बनाया गया, उस समय पुलिस वाले और उसके अलावा कोई नहीं थे तथा उसे कहीं भी डॉक्टरी मुलाहिजा में चोट होना नहीं बताया है। साक्षी के अनुसार चोटे थी, परन्तु उनमें से खून नहीं बह रहा था। यह स्वीकार किया है कि डॉक्टर ने उसकी मुलाहिजा रिपोर्ट में कोई अंदरूनी चोट भी नहीं बताया है। उससे कोई भी सामान जप्त नहीं हुआ है। साक्षी के अनुसार थाने में गये थे तब गन वैगर, और एक राउंड जमा करके आये थे। उसे याद नहीं है कि उक्त वस्तुओं की जप्ती बनाई गई थी या नहीं। उनसे डम्पर की पुरानी दो नग प्लेट जप्त नहीं हुई है। साक्षी के अनुसार बोरी में भरकर चोरों के माध्यम से लेकर गये थे और थाने में वह जप्त करवाये थे। यह अस्वीकार किया है कि बोरी में क्या-क्या था, उसने नहीं देखा। साक्षी के अनुसार लोहे का सामान था। उसे याद नहीं है कि बोरी को खोलकर किसने दिखाया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बोरी के अंदर क्या चीज था उसने नहीं देखा था, उसके सामने और कहीं से कोई चीज जप्त नहीं की गई थी। उससे एक 12 बोर की बंदूक जप्त नहीं हुई है। साक्षी के अनुसार पहले जमा किये थे। उससे कोई कारतूस भी जप्त नहीं किया गया है।

14— साक्षी हुलासराम सहारे अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को जानता है। घटना के समय वह सुरक्षा पर्यवेक्षक के पद पर ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में तथा आहत सुरक्षा रक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना लगभग सात साल पूर्व रात्रि के दो-ढाई बजे ताम्र परियोजना मलाजखण्ड की है। आहत गोवर्धन की स्क्रेपयार्ड में सुरक्षा ड्यूटी लगी थी। करीब दो-ढाई बजे घटना दिनांक को ए.डी.एम. ऑफिस से मेन गेट पर फोन आया था कि प्रार्थी गोवर्धन को चोरों के द्वारा पत्थर मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना के आधे घंटे बाद घटनास्थल सूचना मिलने के उपरांत

गये थे। वहाँ पर जाकर देखने पर आरोपी झाड़ी के पास पड़ा था और पर एक बोरी में लोहे का सामान रखा था। आरोपी को उपचार हेतु उसने गोवर्धन, चौरे एवं अन्य स्टाफ ने उठाकर ताम्र परियोजना के अस्पताल ले गये थे। जहाँ पर प्रार्थी के द्वारा आरोपी को रक्तदान किया गया था। आरोपीगण चोरी करने के उद्देश्य से आये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे ध्यान नहीं है कि गोवर्धन से उसके सामने क्या जप्त हुआ था।

15— साक्षी हुलासराम सहारे अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गोवर्धन से उसके सामने जप्ती पत्रक प्रपी-04 के अनुसार मिट्टी, खून लगी बंदूक तथा कारतूस जप्त की थी, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, कंपनी में प्रवेश के लिये पास की आवश्यकता पड़ती है। साक्षी के अनुसार रात के दो-ढाई बजे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को रात्रि 11:00 बजे एक आवाज 12 बोर दो नाल बंदूक चलने की आवाज स्क्रेपयार्ड के एरिये से आयी थी, उसने जप्ती वाली बात अपने मुख्य परीक्षण में ध्यान नहीं था इसलिये नहीं बताया अभी ध्यान दिलाने पर याद आया तो बता रहा है।

16— साक्षी हुलासराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि खून लगा मिट्टी गोवर्धन से जप्त हुआ था। साक्षी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल से उठाकर लाई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि ऊपर उसने जो गोवर्धन से जप्ती बताया है वह गलत है। साक्षी के अनुसार उसके साथ गोवर्धन भी था तब पुलिस वालों ने मौके से मिट्टी उठाई थी। यह अस्वीकार किया है कि छर्रे गोवर्धन से जप्त हुये थे। साक्षी के अनुसार खाली कारतूस जप्त हुये थे। यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक में दो नग छर्रे जप्त होना गलत लिखा है। गोवर्धन से खोक दो और

बंदूक जप्त हुये थे। बंदूक को जप्त कर गेट पर से जप्त करके ले गये। साक्षी के अनुसार घटना होने के बाद आरोपी राजकुमार को अस्पताल ले जाया गया, उस दौरान बंदूक वगैरह मेन गेट में जमा कर दिये थे। फिर वहाँ से थाने में पहुँचाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल से बंदूक की जप्ती वगैरह नहीं हुई थी। वह नहीं बता सकता की जप्ती पत्रक प्रपी-04 में उक्त वस्तुओं की जप्ती गलत स्थान पर बताई गई है। प्रार्थी गोवर्धन ने किसके पास और कहाँ बंदूक जमा किया(गेट में) वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि जप्ती के समय वह उपस्थित था। गेट से पुलिस वालों को बंदूक गोवर्धन ने दिया था।

17— साक्षी हुलासराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना रात के करीब 11-12 की हो सकती है उसने घड़ी नहीं देखी। उसने उपर जो घटना दो बजे की बतायी है वह गलत है या सही वह नहीं बता सकता क्योंकि घटना बहुत पुरानी है, इसलिये आज उसे निश्चित याद नहीं है। ड्यूटी 9 से 5 एक एवं 10 से 6 एक लगती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने बंदूक किसी को नहीं दिया। साक्षी के अनुसार गोवर्धन को दिया था और उसने स्वयं ने भी लिया था। उसकी ड्यूटी किसी के साथ नहीं लगी थी। वह उनके साथ गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह मुन्नीलाल, गोवर्धन तीनों साथ में पेट्रोलिंग के लिये निकले थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह लोग तीनों अलग-अलग दिशा में नहीं गये थे। वह उनको छोड़कर दूसरे साईड में अंदाजन 11 पौने ग्यारह बजे चला गया था। वह जब मेन्टेनेशन साईड में था, तब आवाज आई वह बंदूक की थी या नहीं वह नहीं बता सकता। उसने अपने बयान में क्या बताया था बंदूक की आवाज बताया था या और किसी चीज की आज उसे ध्यान नहीं है। वह तीन लोगों को अपने साईड से पकड़ कर लाया था। उधर दूसरे साईड में कितने लोग थे उसे नहीं मालूम। उसे ध्यान नहीं कि उसने बयान देते समय तीन लोगों को पकड़ कर लाया था लिखाया था या नहीं है।

18— साक्षी हुलासराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि बगैर उच्चाधिकारियों के आदेश के बगैर उन लोगों को बंदूक चलाने का अधिकार नहीं है। साक्षी के अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार वह लोग निर्णय ले सकते हैं। उसने मौके पर भदौरिया से कुछ भी नहीं पूछा था। घटनास्थल पर उसने पूछताछ नहीं किया था बल्कि भदौरिया ने बताया था कि उसके उपर पत्थराव किये तो उससे गोली चल गई। यह स्वीकार किया है कि मौके पर कितने लोग लोहा लेने आये थे और कितने लोग लोहा लेकर भाग गये वह नहीं बता सकता। वह यह नहीं बता सकता कि घटना के तुरंत बाद उसके पहुँचने पर उसने उसे क्या-क्या बात बताया था, वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुँचा था तो भदौरिया ने उसे संक्षेप में बताया था विस्तृत रूप से नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी पर बंदूक चलाई थी और गोवर्धन नहीं थे तथा घटना 7 बजे की है 11 बजे की नहीं। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी का खेत लगा हुआ है।

19— साक्षी हुलासराम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह करमसरा और रेंगी के लोगों को नाजायज तौर पर तंग करते थे, आरोपी जब अपने खेत में थे तब उन्हें जबरदस्ती फसाने के लिये कंपनी के अंदर पकड़ कर लाये थे, उतावलेपन में उसने आरोपी के पैर में बंदूक मारी थी, करमसरा और रेंगी के 20-25 लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट किये थे, घटना स्क्रेपयार्ड की नहीं है बल्कि भू-राजस्व की जमीन की है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि इसी बात को लेकर सेसन न्यायालय में एच.सी.एल. अधिकारियों के विरुद्ध केस चल रहा है। यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा मामला चलाया है।

20— साक्षी मुन्नीलाल अ.सा.03 का कथन है कि वह न्यायालय में हाजिर आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की रात के 1:30—2:00 बजे स्केपयार्ड मलाजखण्ड फेंसिंग के किनारे की है। घटना दिनांक को 11—12 बजे सूचना मिली कि ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में चोर आये है तो उनके सुपरवाइजर ने कहा की चलो चोरों को घेरते है, तो उसे भी एक जगह खड़ा कर दिये थे, तभी लगभग 2:00 बजे फायर की आवाज आई और लंबी—लंबी विसिल की आवाज आई तो वह विसिल की ओर और फायरिंग की आवाज जिधर से आई थी उधर चला गया था, तब आरोपी वहाँ फेंसिंग के बाहर की ओर गिरा हुआ था, जो ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में है। फिर उन्होंने आरोपी को पानी पिलाया और मलाजखण्ड में कंपनी के अस्पताल में ले गये। आरोपी घटना के समय वहाँ पर चोरी करने के लिये आया था। घटना दिनांक को गोवर्धन भदौरिया ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में ड्यूटी कर रहे थे, जब फायरिंग की गई थी तो घटनास्थल पर एक ही आरोपी था, शेष आरोपीगण भाग गये की जानकारी लगी थी। जब वह गोवर्धन भदौरिया के पास पहुँचा था तो जानकारी दी थी कि आरोपी की ओर से उसे दो—तीन पत्थर आये।

21— साक्षी मुन्नीलाल अ.सा.03 के अनुसार घटना के समय गोवर्धन भदौरिया को चोट नहीं आई थी। गोवर्धन भदौरिया ने बताया थे कि दो—तीन पत्थर उसकी ओर आने पर उसने फायरिंग की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आरोपी जब फेंसिंग के पास गिरा था उस समय वह होश में था, जिससे उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजकुमार बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि भदौरिया जी से उसने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि तीन—चार लोग कंपनी का लोहा लेकर भाग रहे थे और 7—8 लोग वहीं पर लोहा रख कर पत्थरों से उसकी ओर फेंकने लगे। भदौरिया ने उसे यह भी बताया था कि अपने बचाव में उन्होंने बंदूक से फायर किया था तथा एक बोरी जिसमें लोहे के कंपनी के सामान रखे थे जो टूटे—फूटे थे

आरोपी के पास पड़े हुये थे।

22- साक्षी चन्द्रभान चौरे अ.सा.04 का कथन है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2005 की रात दो-ढाई बजे की है। आरोपी राजकुमार के साथ 5-7 आदमी ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के स्क्रेपयार्ड में चोरी करने आये थे। सुरक्षा के तहत उनके जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। चोरी करने आये हुये लोग पत्थरों से मारने लगे, तब ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के जवान गोवर्धनसिंह ने हवा में फायर किया, वह गोली राजकुमार को लग गई, उक्त गोली राजकुमार को कान में लगी थी। फिर गोवर्धनसिंह, एच.आर. साहरे ओर मुन्नीलाल उसे अस्पताल लेकर गये। वह अपने क्वार्टर में था, मौके पर नहीं था। राजकुमार के साथ शेष जो लोग चोरी करने आये थे वह भाग गये थे। स्क्रेपयार्ड का सामान मशीनरी विभाग को फेंसिंग के बाहर फेंक दिया था उसे भी उठाकर लाये थे। गोवर्धन भदौरिया से लोहे का सामान जप्त किया था, जप्ती पत्रक प्रपी-03 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने थाना मलाजखण्ड द्वारा जप्त किया हुआ गन रजिस्टर्ड सुपुर्दनामे पर लिया था, जो प्रपी-04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

23- साक्षी चन्द्रभान चौरे अ.सा.04 से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उससे पुलिस वालों ने पूछताछ किया था या नहीं या उसने बयान दिया था या नहीं उसे याद नहीं है। साक्षी को उसका पुलिस बयान प्रपी-5 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा बयान पुलिस को देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि घटना वर्ष 2005 की है। घटना वर्ष 2005 के शायद सातवें महीने की है। यह स्वीकार किया कि उस समय वह सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था और कई मामलों में गवाही देने आता रहता था। उसे ध्यान नहीं है कि वर्ष 2003 की घटना है या नहीं। वह नहीं बता सकता कि जो उसने बयान दिया है वैसी घटना वर्ष 2003 को हुई है या नहीं। साक्षी के अनुसार बहुत दिन

की घटना हो गई है, इसलिये वह निश्चित नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि घटना में क्या-क्या घटित हुआ था जानकारी नहीं है। वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि उसने जो घटना के बारे में बताया है वह सातवें महीने की वर्ष 2005 की है। साक्षी के अनुसार उसे सन् के बारे में जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया है कि उसने सातवें महीने वर्ष 2003 की घटना के बारे में बयान नहीं दिया है। वह सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था, वह पढ़ा लिखा है।

24— साक्षी पुसऊसिंह अ.सा.11 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 10-12 वर्ष पूर्व स्क्रेप ऐरिया मलाजखण्ड में रात्रि के समय की है। घटना के समय स्क्रेप यार्ड ऐरिया में आरोपी चोरी करने के लिये घुसा था, जो कि झाड़ में छिपा हुआ था। आरोपी राजकुमार को गोली लगी थी, जिसे एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में लेकर गये थे। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय रात्रि करीब 11:00 बजे स्क्रेपयार्ड ऐरिया में बंदूक चलने की आवाज आने पर वह कल्याणसिंह, हुलासराम एवं तिजूलाल और मुन्नीलाल के साथ पहुँचा, जहाँ गोबरधन भदौरिया से बंदूक चलाने का कारण पूछने पर बताया कि लोहा चुराने वाले 10-12 लोग दिखने पर उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान करीब 7-8 लोगों द्वारा पत्थर उठाकर मारने पर अपने बचाव में बंदूक चलाना बताया,

25— साक्षी पुसऊसिंह अ.सा.11 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इन सुझावों को स्वीकार किया है कि झाड़ी के पीछे आरोपी के पास दो नग लोहा स्क्रेप पड़ा था, आरोपी के पैर में गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसके पास से मिले लोहे की स्क्रेप को थाना लेकर गये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को

स्वीकार किया है कि आरोपी घटनास्थल पर किस उद्देश्य से गया था उसे मालूम नहीं, आरोपी को गोली लगने के कारण वह झाड़ी में छिपा हुआ था, जिसके कारण उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था, पुलिस ने उसके बयान कैसे लिख लिया, वह कारण नहीं बता सकता, गोबरधन ने आरोपी को गोली मारी थी तथा गोबरधन को बचाने के लिये आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

26— साक्षी नयनसिंह मरकाम अ.सा.05 का कथन है कि वह आरोपी रविकांत वर्मा को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष रविकांत वर्मा से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु उसके प्र.पी05 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। वह चंद्रभान चौरे को नहीं जानता है। उसके समक्ष चंद्रभान चौरे से भी कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जो जप्ती प्र.पी06 है, किन्तु ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसके समक्ष रविकांत वर्मा से दिनांक 13.08.2003 को एक आदेश पत्र प्रतिबंध क्षेत्र का नोटिफिकेशन जिसमें कार्यालय जिला दण्डाधिकारी बालाघाट का आदेश क्रमांक 01 अनु0 लि0 92 बालाघाट दिनांक जनवरी 1992 द्वारा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जप्ती पत्र प्र.पी05 में उल्लेखित स्थानों को संरक्षित स्थान घोषित किया है। एक आदेश पत्र कार्यालय जिला दण्डाधिकारी का आदेश पत्र क्रमांक 353/ अनु0लि0 91 बालाघाट दिनांक 31 जनवरी 1992 माइंस ऐरिया 2.5 वर्ग कि0मी0 जिसमें जिला दण्डाधिकारी की शील मुहर लगा दो प्रतियों में हस्ताक्षर है जो पुलिस ने जप्त नहीं की थी।

27— साक्षी नयनसिंह मरकाम अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दिनांक 03.09.2003 को स्थान ताम्र परियोजना मलाजखण्ड से मेन गेट पर पुलिस ने उसके समक्ष चंद्रभान चौरे से जप्ती पत्रक प्र.पी06 के अनुसार एक ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के सुरक्षा गार्ड का (गन) बंदूक प्रदाय करने का रजिस्टर जिसमें हिन्दुस्तान डिलक्स अंग्रेजी में लिखा हुआ है 384 पृष्ठ का रजिस्टर जिसके पृष्ठ क्र12 में दिनांक 15.07.2003 को पांचवे नम्बर पर

गोवर्धनसिंह भदौरिया को गन क्रमांक ए1/10478 एवं एक लाइफ कारतूस एवं चार डमी कारतूस प्रदाय किया गया था जिसमें गोवर्धन सिंह के हस्ताक्षर है रजिस्टर पुलिस ने उसके समक्ष जप्त नहीं किया था। उसने जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था वह पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किया था। यह अस्वीकार किया है कि वह न्यायालय में आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी05 एवं प्र.पी06 के दोनों हस्ताक्षर एक ही दिनांक को एक ही समय पर किया था तथा हस्ताक्षर करने के पूर्व उक्त दस्तावेज को उसे पुलिसवालों ने न ही पढ़ने दिया और न ही पढ़कर सुनाया था। यह स्वीकार किया कि जप्ती के संबंध में जितनी भी कार्यवाही उपर उल्लेख किया गया है वह उसके समक्ष नहीं की हैं।

28— साक्षी पुरुषोत्तम तुरकर अ.सा.06 का कथन है कि वह रविकांत वर्मा को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष रविकांत वर्मा से जप्ती की कार्यवाही हुई थी, प्र.पी05 के बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था। वह रविकांत वर्मा को जानता है, जो ताम्र परियोजना मलाखण्ड में पदस्थ थे, उनसे एक बंदूक का लायसेंस जप्त हुआ था जो जप्ती प्र.पी07 है उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसे जानकारी न होना व्यक्त किया कि प्र.पी05 का जप्ती पत्रक किस दिन बनाया गया था तथा घटना पुरानी होने से उसे दिनांक याद नहीं है।

29— साक्षी पुरुषोत्तम तुरकर अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मलाखण्ड में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ था और घटना के समय वह कास्तकारी नहीं करता था, पुलिसवालों ने उसका व्यवसाय कास्तकारी गलत अंकित किया था। यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी05 के अनुसार जप्त जप्ती पत्र को उसे देखने का मौका नहीं मिला था तथा जप्ती पत्र प्र.पी07 के अनुसार लायसेंस की प्रति उसे देखने को नहीं मिली थी। साक्षी के अनुसार उसे

उसके संबंध में बता दिया गया था। यह स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही के संबंध में उसे विवेचना अधिकारी द्वारा कोई समन नहीं दिया गया था। साक्षी के अनुसार वह वहाँ पदस्थ था। यह अस्वीकार किया है कि वह थाने में पदस्थापना के कारण जप्ती कार्यवाही के संबंध में असत्य कथन कर रहा है।

30— साक्षी परमजीतसिंह अ.सा.07 का कथन है कि पुलिस ने उसके समक्ष सुरक्षा गार्ड के लाईसेंस जो रिटेनरशिप में थे, जप्त किये थे। पुलिस ने उससे लाईसेंस क्रमांक 785/30/93/21/5/93.BM/BGT. प्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड एच.सी.एल. मलाजखण्ड जिसमें 06 बंदूक स्वीकृत हैं तथा रिटेनरशिप में पी.के. श्रीवास्तव, जी.एल. राठौर, सुखदास, एम.बी. साहू, सी.एम. बंसोड, बी.एल. मीना, ए.एस.एन. मोती, रतनचंद, गोवर्धन भदोरिया, प्रेमलाल मीना, संतदास, देवराज जैसवाल, धनेश्वर साहू तथा सी.बी. चौरे के नाम दर्ज हैं, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि प्र.पी08 की जप्ती के पूर्व उसे पुलिस अधिकारी ने उक्त लाईसेंस को जप्त करने के पूर्व लिखित में कोई सूचना पत्र दिया था या नहीं। यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्र प्र.पी08 के अनुसार लाईसेंस की प्रति पुलिस अधिकारी को दे दी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने लाईसेंस की फोटो प्रति पुलिस को दी थी। साक्षी के अनुसार ओरिजनल भी दिया था। यह स्वीकार किया है कि एच.सी.एल. के सुरक्षा गार्ड को कंपनी का रिटेनरशिप लाईसेंस दिया जाता है व्यक्तिगत नहीं दिया जाता है।

31— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 16.03.2003 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के आरक्षक किशोर क्रमांक 07 द्वारा गोवर्धन को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण में उसने व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

32— साक्षी मोहित सक्सेना अ.सा.09 का कथन है कि वह दिनांक 16.07.2003 को थाना मलाजखण्ड में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 62/2003 धारा 382, 447, 37 भा.दं०सं० की कायमी उपरांत डायरी विवेचना हेतु प्राप्त कर घटनास्थल स्क्रेपयार्ड ऐरिया हि.का.लि. मलाजखण्ड पहुँचकर फरियादी गोवर्धन भदोरिया द्वारा घटनास्थल बताने पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी०२ तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गोवर्धन भदोरिया के पेश करने पर एवं घटनास्थल से बरामद मिट्टी धातु के छर्रे, दो नाली बंदूक, खाली कारतूस आदि सामग्री तिज्जूलाल केवट एवं हुलासराम सहारे के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी०४ तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना में उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षीगण गोवर्धन भदोरिया, हुलासराम सहारे एवं कल्याणसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। पश्चात प्रकरण विवेचना हेतु अग्रिम विवेचक को दे दिया गया था।

33— साक्षी मोहित सक्सेना अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि घटनास्थल का ऐरिया चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। यह अस्वीकार किया है कि घटनास्थल स्क्रेपयार्ड ऐरिया के बाहर का है। साक्षी के अनुसार उसे याद नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी०२ का मौका-नक्शा में गवाह तथा साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि प्र.पी०२ का मौका-नक्शा बनाते समय प्रार्थी द्वारा घटनास्थल में चिन्हित स्थान डी से गोली चलाना नहीं बताया था। यह अस्वीकार किया है कि घटनास्थल से झाड़ियों की दूरी का उल्लेख नहीं है। साक्षी के अनुसार मौका-नक्शा प्र.पी०२ में उल्लेख है। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी०४ के अनुसार कोई जप्ती नहीं की गयी है और उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध किया है।

34— साक्षी समलसिंह परते अ.सा.10 का कथन है कि वह वर्ष 2004 में थाना मलाजखण्ड में पदस्थ था। वह आरोपी राजकुमार एवं सिक्यूरिटी अधिकारी परमजीतसिंह को जानता है। उसके समक्ष परमजीतसिंह से दिनांक

11.08.2004 को एक 12 बोर की दो नाल वाली बंदूक पुलिस ने जप्त किया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.08 थाने में बनाया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि विवेचना अधिकारी के बताये अनुसार उसने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी के अनुसार उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी। यह स्वीकार किया है कि उसे उक्त जप्तशुदा बंदूक का लाईसेंस क्रमांक नहीं मालूम है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे उक्त बंदूक किससे जप्त हुई थी नहीं मालूम। साक्षी के अनुसार परमजीतसिंह से जप्त हुई थी। यह स्वीकार किया है कि उसे पहले सूचना नहीं दी गयी थी। साक्षी के अनुसार वह वहीं पर पदस्थ था। यह स्वीकार किया है कि उसे जप्ती के समय बंदूक का लाईसेंस पत्रक देखने को नहीं मिला था।

35— साक्षी डी.आर. वरकड़े अ.सा.12 का कथन है कि वह दिनांक 11.08.2004 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 62/03 अंतर्गत धारा-382, 447 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु दी गई थी। उक्त दिनांक को परमजीत सिंह के द्वारा लायसेंस क्रमांक 785/30/93 दिनांक 21.05.93 डी.एम./बी.जी.टी. प्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड तहसील बैहर जिसमें 06 बंदूक स्वीकृत है लेख था। उक्त लायसेंस में श्री पी.के. श्रीवास्तव, पी.एल. राठौर, सुखदास, श्री आर.के. साहू, सी.आर. बसौड़, श्री बी.एल. मीणा, श्री ए.एस.एन. मूर्ति, रतनचंद, गोबरधन भदौरिया, प्रेमराज मीणा, श्री संतदास, देशराज, धनेश्वर साहू, श्री सी.बी. चौरे के नाम दर्ज थे और उसमें उनके फोटो लगे थे, गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

36— साक्षी डी.आर. वरकड़े अ.सा.12 के अनुसार दिनांक 13.08.2004 को रविकांत वर्मा के पेश करने पर एक आदेश पत्र प्रतिबंधित क्षेत्र का नोटिफिकेशन, जो निम्नलिखित स्थल को संरक्षित घोषित किया गया है

जिसमें पीने के पानी का वॉटर 2100 वर्गमीटर, सब स्टेशन टाउनशीप 750 वर्गमीटर, इंटकवेल सब स्टेशन 1200 वर्गमीटर, न्यू इंटिग्रेटेड 5000 वर्गमीटर, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 1900 वर्गमीटर, प्रशासनीक भवन 1000 वर्गमीटर, 10-10 टन मेगजीन 3000 वर्गमीटर, 11-45 टन मेगनीज 3000 वर्गमीटर, 12 टेलिंग डेम एवं 10 टन मेगनीज 30 वर्ग किलोमीटर, लिचिंग प्लांट 02 वर्ग किलोमीटर, जिला दण्डाधिकारी बालाघाट की सील मोहर लगी हुई हस्ताक्षर है, जो कि तीन प्रतियों में था तथा आदेश पत्र प्रतिबंधित क्षेत्र कार्यालय जिला बालाघाट का माईन्स एरिया 2.5 वर्ग किलोमीटर, जिसमें दण्डाधिकारी बालाघाट की सील मोहर लगी हस्ताक्षर है, जो कि दो प्रतियों में था, गवाहों के समक्ष जप्त कर तैयार किया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 16.08.2003 को रविकांत वर्मा के द्वारा पेश करने पर एक लायसेंस क्रमांक 785/30/93 दिनांक 21.05.93 डी.एम./बी.जी.टी. प्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड तहसील बैहर, जिसमें स्वीकृत शस्त्र लायसेंस में 05 बंदूक 12 बोर की दो नाल वाले दर्ज है, गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

37— साक्षी डी.आर. वरकड़े अ.सा.12 के अनुसार दिनांक 03.09.2003 को चंद्रभान चौरे के द्वारा पेश करने पर बंदूक प्रदाय करने वाला एक रजिस्टर ताम्र परियोजना मलाजखंड का गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 03.09.2004 को चंद्रभान चौरे के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.05, 06, 07 एवं 08 की कार्यवाही थाने में ही किया था एवं उसने लायसेंस, बंदूक आरोपी राजकुमार से जप्त नहीं किया था क्योंकि आरोपी आहत था। वह नहीं बता सकता कि आरोपी को जप्तशुदा

बंदूक से गोली मारी गई थी। वह यह नहीं बता सकता कि उक्त गोली आरोपी को लगी थी, जिससे उस पर झूठा प्रकरण बनाया गया है। साक्षी के अनुसार जायरी विवेचना हेतु मिली थी, जिसमें आरोपी राजकुमार का नाम दर्ज था। यह स्वीकार किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के दस्तावेज और बंदूक लायसेंस थाने में जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया था। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा बंदूक की जप्ती नहीं की गई थी।

38— लूट के अपराध हेतु सर्वप्रथम चोरी, तत्पश्चात उक्त हेतु हिंसा का प्रयोग अथवा भय सिद्ध करना आवश्यक है। प्रकरण की साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा चोरी ही सिद्ध नहीं की गई। परिवारी गोवर्धन अ.सा.01 के अनुसार घटना के समय काफी लोग आये थे, जिनमें से कुछ लोग सामान उठाकर चले गये तथा कुछ लोग पीछे रह गये। संपूर्ण प्रकरण में यह दर्शित ही नहीं किया गया है कि क्या सामान गया और वास्तव में चोरी हुई थी अथवा नहीं। साक्षी के अनुसार जो चोर पहले सामान ले गये थे, उन्होंने उसके उपर पत्थर फेंका जो उसे लगे। परिवारी की मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.09 से स्पष्ट है कि घटना के समय उसे कोई चोट नहीं आई थी तथा उक्त रिपोर्ट को स्वयं परिवारी ने भी स्वीकार किया। प्रकरण में कथित 10-12 लोगों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और उक्त संबंध में कोई समुचित स्पष्टीकरण भी नहीं है। साक्षीगण के अनुसार अभियुक्त जहाँ गिरा था, उसके पास ही बोरी में लोहे का सामान पड़ा हुआ था। प्रथमतः उक्त सामग्री परिवारी से जप्त की गई है, तत्पश्चात यह स्पष्ट ही नहीं किया गया है कि उक्त सामान एच0सी0एल0 कंपनी का था अथवा नहीं और क्या उसे अपनी जगह से हटाया गया था। प्रकरण की साक्ष्य से यह किंचित भी दर्शित नहीं होता है कि घटना के समय चोरी का अपराध किया गया था और कथित हिंसा के संबंध में भी लेशमात्र तथ्य उपलब्ध नहीं है।

39— अब प्रश्न आपराधिक अतिचार का है। सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना के समय अभियुक्त को गोली लगने के कथन किये हैं तथा

परिवादी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त को एम.सी.पी. अस्पताल में भर्ती कराने के कथन किये हैं। यद्यपि प्रकरण में अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथापि घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में अखण्डनीय साक्ष्य है। स्वयं अभियुक्त भी घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति के स्पष्टीकरण के संबंध में मौन है और कोई बचाव साक्ष्य भी पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा आपराधिक अतिचार किया गया।

40— अतः अभियुक्त राजकुमार को भा.दं०सं. की धारा-392 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा भा.द.सं. की धारा-447 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

41— अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनश्च—

42— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। वह विगत 12 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है। विचारण के दौरान वह कारावास में भी रह चुका है तथा घटना के पश्चात से विकलांग है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

43— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। प्रकरण का विचारण विगत 12 वर्षों से चल रहा है तथा उक्त दौरान अभियुक्त कारावास

में भी रहा है। यद्यपि अभियुक्त की शारीरिक अवस्था के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि अभियुक्त की विकलांगता न्यायालय में प्रत्यक्ष है, जो कि घटना के पश्चात की है। ऐसी स्थिति में चूँकि उसकी आर्थिक स्थिति के संबंध में भी बचाव पक्ष द्वारा व्यक्त किया गया है कि वह पूर्णतः अक्षम है तथा दोषसिद्ध अपराध अत्यधिक गंभीर नहीं है, उसे विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अधीन न्यूनतम दंड दिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे मात्र न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है।

44— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बंदूक 12 बोर दो नाली नंबर ए/1-10478 आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा पर दी गई है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात आवेदक/सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित हो तथा जप्तशुदा डम्फर की पुरानी दो नग लोहे की ब्रेक प्लेट नीलाम कर राशि राजकोष में जमा कराई जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

45— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 07.09.2015 से दिनांक 11.09.2015 तथा दिनांक 08.11.2017 से दिनांक 10.11.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट